श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : अध्यक्ष महोदय, इस पर जो बहस पहले चलती रही है उसको मैंने भी सुना और आज का वित्त मंत्री जी का भाषण भी मैंने सुना। आप रिकार्ड में देख लीजिये कि उन्होंने हर बार यह कहा है कि बीमा पब्लिक सैक्टर में ही रहेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि वह इसे क्यों दोहरा रहे हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह (बलिया) : अध्यक्ष जी, इस पर भाषण की कोई जरूरत नहीं है। *(व्यवधान)* आप मतदान के लिए एप्रूव कीजिए। *(व्यवधान)*

श्री इलियास आजमी : वित्त मंत्री जी ने संशोधन का जो प्रस्ताव रखा था, अगर उनकी नीयत साफ है तो भाजपा के साथी ने जो अमेंडमेंट दिया है, उसको मान लेने में इनको एतराज है? मैं समझता हूं कि उनकी नीयत साफ नहीं है इसलिए घुमा-फिराकर बात कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से हम काफी विचार-विमर्श कर चुके हैं। अब मैं संशोधन को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है।

प्रधान मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : महोदय, मैंने सभा के विभिन्न वर्गों के विचारों को बहुत ही ध्यान से सुना है। मैं भी मानता हूं कि कुछ आशंकाएं व्यक्त की गई हैं। जिनको यह सरकार बढ़ावा नहीं देना चाहती। हम अत्यंत उत्सुक हैं कि सभा की आम सर्वसम्मति का हमें सम्मान करना चाहिए और हम उसका सम्मान करेंगे।

मेरा सुझाव है कि तब तक हमें आगे कोई कदम नहीं बढ़ाना चाहिए; हम यहीं रूकते हैं क्योंकि यह *(व्यवधान)* हम उन सबके साथ विचार विमर्श करने के पश्चात् वापस आएंगे *(व्यवधान)* हम इस विधेयक को प्रस्तुत भी नहीं करेंगे *(व्यवधान)* हम वापस आपके पास आ सकते हैं, *(व्यवधान)* मुझे समाप्त करने दीजिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री जी को अपना भाषण समाप्त करने दीजिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री जी को अपनी बात समाप्त करने दीजिए। आप इतने अधीर क्यों हो रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं माननीय सदस्यों को सुझाव दूंगा कि हमें विधेयक प्रस्तुत नहीं करना चाहिए।

अपराह्न 3.00 बजे

हम विधेयक को वापस रखते हैं। हम आपस में विचार-विमर्श करेंगे और सर्वसम्मति प्राप्त करने के पश्चात् एक व्यवस्थित रूप में हम वापस आएंगे।

(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : दो, तीन दिनों से या चार दिनों से हम बार-बार वित्त मंत्री के पास गए है। हम अपने संशोधन पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रधान मंत्री जी के पास भी गए हैं ताकि इसे सबको सभा के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व हम एक दूसरे के विचारों से वाकिफ़ हो जाएं। परंतु इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया था। हमें प्रसन्नता है कि इतना विलंब होने पर भी प्रधान मंत्री जी उसपर विचार करने के लिए तैयार हैं। हम इस बात से खुश हैं *(व्यवधान)* पिछले चार दिनों से हमने इसके लिए प्रयत्न किये है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : अध्यक्ष जी, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। जब चुनाव के लिए कार्यवाही होने जा रही थी तो प्रस्ताव वापिस लेने का प्रश्न नहीं उठता। आप रूलिंग दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इतना ही काफी है; काफी है। कृपया अब मेरी बात सुनिए। प्रक्रिया बिल्कुल स्पष्ट है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने भोजन अवकाश से पूर्व कहा था कि ऐसा पहले भी हो चुका है जबकि एक विधेयक को वाचन के तीसरे चरण पर होते हुए भी स्थगित किया गया था। इसके लिए, विधेयक के प्रस्तावक को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। यदि सर्वसम्मति है तो ठीक है। अन्यथा स्थगन के लिए भी मुझे इसे सभा के समक्ष मतदान के लिए प्रस्तुत करना पड़ेगा। मैं इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट हूं। अत: यदि आप स्थगन के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते है; तो आप प्रस्तुत कर सकते हैं। परंतु मुझे उस प्रस्ताव को भी सभा के समक्ष मतदान के लिए रखना होगा *(व्यवधान)* मुझे नहीं लगता कि इस विषय में कोई सर्वसम्मति है।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मैं सभा में किसी निश्चित सर्वसम्मति के बिना कुछ भी करना नहीं चाहता। मैं सर्वसम्मति के विषय में बात नहीं कर रहा हूं। बात यह है कि हम धारा 13 पर दो अत्यंत सुस्पष्ट स्थितियों पर अटक गए थे। मैं इसकी कोई आलोचना या निंदा नहीं कर रहा हूं। एक संशोधन पहले ही अस्वीकृत हो चुका है। वे उस बात पर पुन: जोर डालने के हकदार है। आखिरकार, यह एक लोकतंत्र है और एक प्रणाली है। वे उस संशोधन के अस्वीकृत होने के बाद भी अपनी बात पर जोर डाल सकते हैं।

इसके अलावा, एक अन्य संशोधन भी है जोकि और अधिक सीमित प्रकृति का है। मेरे विचार से उस संशोधन के लिए व्यापक समर्थन है। अत:, सबसे मशवरा करने के पश्चात्, मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम की कार्य प्रणाली सहित अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए संभवत कोई समाधान निकाला जा सके। साधारण बीमा निगम 35 देशों में कार्यरत है और जीवन बीमा निगम 5 देशों में कार्यरत हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा था और अब दोहराता हूं कि किसी भी विदेशी कम्पनी अथवा बहुर्राष्ट्रीय कम्पनी को अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु भारतीय कम्पनियों को स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में अनुमति देने का प्रस्ताव है। इसीलिए मैंने संशोधन का प्रस्ताव किया था। मैं इसे औपचारिक रूप से इसलिए प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं इसे आपकी अनुमति के बिना नहीं कर सकता। मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है।

उस चरण पर प्रधान मंत्री जी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा था कि वह चाहेंगे कि श्री वाजपेयी तथा अन्य अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। ठीक है, क्या हम एकमत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? मैं आपका विचार समझ गया हूं। परंतु इस पर भी, क्या हम एकमत हो सकते हैं?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं आपके विचार से अवगत हूं। इसपर भी तो कोई एकमत नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह है : इस पर, जो सूत्र मैंने प्रस्तुत किया है और जो आपने प्रस्तुत किया है क्या इनमें कोई एकमत है? क्या हम इसपर बात कर सकते हैं? अत: प्रधान मंत्री जी ने कहा हैं कि, "क्या आप इस मुद्दे को तब तक आस्थगित मान सकते हैं जब तक हम इस के विषय में विचार विमर्श न कर लें? मैं श्री वाजपेयी से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में अपनी टिप्पणी करें। हम एकमत हो सकते हैं। हम उन्हें भी शामिल करेंगे। हम कांग्रेस को शामिल करेंगे। वे इस पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहते हैं। कांग्रेस को वास्तव में इसपर विचार करने के लिए कुछ समय की आवश्कता है। अत: हमें सभी को इसमें शामिल करना चाहिए। हमें आशंकाओं से निपटने के लिए कोई तरीका निकालना होगा। आप कह सकते हैं कि श्री जसवंत सिंह ने बार बार किसी आशंका की बात कही हैं। मैं उस आशंका को दूर करने की चेष्टा कर रहा हूं। आइए देखें कि क्या आपकी आशंका को दूर करने का कोई तरीका है या नहीं। मेरे विचार से धारा 13 तथा 26 इसके लिए उपलब्ध हैं। हम इसे और बेहतरीन तरह से दूर कर पाएंगे। हमें एकमत होने का प्रयास करना चाहिए। यदि इसपर कोई समझौता हो सकता है तो हम वाद-विवाद को स्थगित कर सकते हैं। वरना, मेरे विचार से विपक्ष के नेता को प्रधान मंत्री जी की अपील का उत्तर देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं 1957 से किसी न किसी रूप में पार्लियामैंट से जुड़ा हुआ हूं। लेकिन आज जो परिस्थिति पैदा हुई है वैसी पहले कभी पैदा नहीं हुई। इसका कारण यह है कि सरकार विधेयक लाने से पहले अपना निश्चित मत नहीं बनाती है, किसका समर्थन मिलेगा, किसका समर्थन नहीं मिलेगा, इसका हिसाब नहीं लगाया जाता है और फिर जब सरकार कठिनाई में पड़ती है तो फिर कदम-ब-कदम मानो किसी दबाव में काम कर रही है, बातें मानती जाती है।

हमने प्रारम्भ में मांग की थी, हमारे दल ने प्रारम्भ में मांग की थी कि हम इंश्योरेंस के क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों के खिलाफ हैं, लेकिन भारतीय कम्पनियों को वहां पूरा मौका मिलना चाहिए। यह बात पहले स्वीकार नहीं की गई, अब स्वीकार की गई है। ओनली इंडियन कम्पनीज, जिसका अभी वित्त मंत्री ने उल्लेख किया है और जो हमारे सामने संशोधन के रूप में आना बाकी है, वह यह मान रहे हैं कि ओनली इंडियन कम्पनीज को उसमें अवसर दिया जायेगा, यह अच्छी बात है, हम इसे पसन्द करते हैं। लेकिन इसके साथ जो आशंकाएं बनी हुई हैं, उन आशंकाओं को दूर करने के लिए भी कुछ करने की आवश्यकता है। जब मैंने मैंने इस बात का सुझाव रखा था कि थोड़ी देर के लिए चर्चा स्थगित की जाये, तो उसका उद्देश्य एक ही था कि हमने जो संशोधन दिया हुआ है, उसके बारे में सरकार विचार करें। क्या सरकार उसपर विचार कर सकती है? क्या कठिनाइयां हैं? वित्त मंत्री महोदय ने अभी कठिनाइयां बताई हैं और सचमुच में यह कठिनाइयां पहले सदन के सामने आनी चाहिए थी। वह भी पूरी कठिनाइयां हमारे गले के नीचे नहीं उतरती है।

सरकार का कहना यह है कि इंडियन कम्पनीज विदेशो में इन्श्योरेंस का काम कर रही हैं, वे अच्छा काम कर रही हैं, धन कमा रही हैं, वहां बसे भारतीयों की मदद से चल रही है। उनके हित में काम कर रही हैं और अगर हम अपने यहां यह लिख देते हैं कि विदेशी कम्पनियों के लिए हम दरवाजे बन्द कर रहे हैं तो फिर उनके लिए वहां कठिनाई पैदा हो सकती है। मैं समझता हूं, इस तर्क में थोड़ा सा वजन है। लेकिन इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि इस देश में यह आशंका लगातार बढ़ती जा रही है कि अगर छोटा सा भी छेद रहने दिया गया तो फिर उसमें से बड़े पैमाने पर विदेशी तत्व प्रविष्ट कर रहे हैं। आखिर चन्द्रशेखर जी जो आरोप लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं। उनके मन में यह आशंका क्यों पैदा हो रही है कि देश अपनी सर्वप्रभुता को गिरवी रखने जा रहा है। मेरे मित्र जार्ज फर्नाण्डीज भी देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर जो कुछ कह रहे हैं, उसको ध्यान में रखने की जरूरत है।

लेकिन अब वित्त मंत्री महोदय ने कहा है और प्रधान मंत्री जी ने भी समय मांगा है, तो मैं समझता हूं कि सदन को समय देने में कोई आपत्ति नहीं होगी, मगर इसके बाद जब आप विधेयक लेकर आयें तो हमारी सारी आशंकाओं को दूर करने वाला विधेयक होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बम : महोदय, मैं केवल एक ही बात पर टिप्पणी करना चाहता हूं। मैं पार्टियों के नेताओं से लगातार अलग-अलग परामर्श करता रहा हूं और मैं यह बताना चाहता हूं कि इस विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजा गया था तथा समिति के 45 सदस्यों में से 44 सदस्यों ने इस विधेयक को पांच संशोधनों के साथ स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया था ... *(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : एक बार फिर इसे तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है *(व्यवधान)*

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि स्थायी समिति की रिपोर्ट मौजूद है। इसके बावजूद भी मैं केवल इसी रिपोर्ट के अनुसार नहीं चल रहा हूं मैंने सभी पार्टियों के नेताओं से बराबर परामर्श किया है और अब जो कुछ आप कह रहे हैं मैं उसका अर्थ भलीभांति समझ रहा हूं, मैं यह प्रस्ताव कर रहा हूं *(व्यवधान)* आप जो कुछ कह रहे है मैं उसे स्वीकार करता हूं *(व्यवधान)* मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि हमें समय चाहिए *(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव : जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने कहा था आपको यह विधेयक वापस ले लेना चाहिए *(व्यवधान)* आपको विधेयक वापस ले लेना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, मैं विपक्ष के नेता का आभारी हूं क्योंकि उन्होंने मेरे निवेदन को सही रूप में लिया है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारी ओर से, सरकार की ओर से - इस सभा से छुपकर कुछ भी करने का इरादा नहीं है। हम ऐसा नहीं करेंगे। जो भी नीतियां बनाई जायेंगी वे सभी के समक्ष, सभी की सम्मति से, सभी की जानकारी से तथा सभा की सहमति से ही बनाई जाएगी। अत:, जब हम इसे स्थगित कर रहे हैं तो कृपया उसे उसी रूप में स्वीकारें। हमने सभा के उत्साह को देखा है और हम उसकी कद्र करते हैं *(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : कोई स्थगन नहीं। सरकार को विधेयक वापस ले लेना चाहिए *(व्यवधान)*।

श्री प्रमोद महाजन : इसे वापस ले लेना चाहिए *(व्यवधान)*

डा० मुरली मनोहर जोशी : इसे वापस ले लेना चाहिए। ... *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : यदि सरकार इस पर कोई सर्वसम्मति चाहती है तो सरकार को यह विधेयक वापस लेना चाहिए। जब सर्व-सम्मति होगी तब एक नया विधेयक लाया जा सकता है *(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : विधेयक को वापस ले लिया जाए। *(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : विधेयक को वापस ले लिया जाए। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अच्छा होगा सरकार इस विधेयक को वापस ले ले। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : इस विषय पर सर्वसम्मति आवश्यक है। जब विधेयक पर कोई सर्वसम्मति नहीं है तो उसे वापस ले लिया जाना चाहिए *(व्यवधान)*

डा० मुरली मनोहर जोशी : महोदय, मंत्री जी को विधेयक वापस ले लेने दीजिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह मामला बिल्कुल स्पष्ट है। अब दो-तीन प्रस्ताव हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं कि आज सब कुछ सभा की सम्मति से ही होना चाहिए। यदि यह नए संशोधन को प्रस्तुत करने के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए हैं तो वह सभा की अनुमति से ही होना चाहिए। यदि यह विधेयक के स्थगन का प्रस्ताव है, तो यह पुन: उचित प्रस्ताव द्वारा तथा सभा की सहमति से होना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो यह मतदान द्वारा किया जाना चाहिए। इसे वापस भी सभा की सहमति से ही लिया जाना चाहिए। सरकार को अपना मन बनाना चाहिए और अभी तीन में से किसी एक उपाय को अपनाना चाहिए। अन्यथा, मुझे संशोधनों को मतदान के लिए रखना होगा।

श्री बसुदेव आचार्य : वापस लेने के लिए आम सहमति है।

श्री रूप चंद पाल : मंत्री जी को विधेयक वापस ले लेने दीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यदि सरकार विधेयक को वापस लेने का निर्णय लेती है तो इसका विरोध नहीं होगा।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं पुन: प्रतिपक्ष के नेता के प्रति आभारी हूं। मैं उनके वचनों का आदर करता हूं। हम विधेयक वापस लेते हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं बीमा पालिसी धारकों के हितों का संरक्षण करने और बीमा उद्योग को विनियमित, प्रोन्नत करने तथा उसका नियमित विकास सुनिश्चित करने के लिए तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को वापस लेने के लिए अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बीमा पालिसी धारकों के हितों का संरक्षण करने और बीमा उद्योग को विनियमित, प्रोन्नत करने तथा उसका नियमित विकास सुनिश्चित करने के लिए तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी०चिदम्बरम : मैं विधेयक वापस लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय : विधेयक वापस लिया गया।

श्री बसुदेव आचार्य : यह भारत की जनता की विजय है।

अपराह्न 3.13 बजे

प्राकृतिक आपदाओं के कारण जान व माल की भारी क्षति के बारे में चर्चा – *जारी*

अध्यक्ष महोदय : अब प्राकृतिक आपदाओं के कारण जन-धन की भारी क्षति के संबंध में आगे चर्चा होगी। श्री उधव बर्मन बोलेंगे।

अपराह्न 3.14 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइये। पीथिका में खड़े न होइये।

(व्यवधान)

श्री उधव बर्मन (बारपेटा) : पिछली बार मैंने क्षेत्र में परिस्थितिकीय परिवर्तनों के बारे में बात की थी। कटाव महत्वपूर्ण और हानिकारक चीजों में से एक है। राज्य में बाढ़ के साथ-साथ कटाव ने न केवल ब्रहमपुत्र नदी अपितु इसकी सहायक नदियों में भी कृषि योग्य भूमि को भी समाप्त कर दिया है। कृषि योग्य भूमि की कमी होती जा रही है। इससे प्रत्येक वर्ष हमारे राज्य में समस्या पैदा हो रही है। मैं केन्द्रीय सरकार से आवश्यक रूप से निवेदन करूंगा कि वह ब्रहमपुत्र बोर्ड द्वारा पहले ही तैयार किए गए मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के लिए आगे आए *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांति बनाए रखिए।

श्री उधव बर्मन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश के विभिन्न भागों में पहले से ही सूखा और बाढ़ आती है। केरल और गुजरात में बाढ़ आती है। पश्चिम बंगाल का मिदनापुर जिला भी बाढ़ ग्रस्त है। गुजरात व्यावहारिक रूप से बाढ़ के नुकसानदेह संघात के अन्तर्गत है। परन्तु यह देखा जा रहा है कि सरकार प्राकृति आपदा प्रबंध के लिए उचित तरीके नहीं अपना रही है। वे पूर्णरूप से और व्यावहारिक रूप से उपेक्षित हैं।

यह कहा गया है कि आठवीं योजना में प्राकृतिक आपदा प्रबंध कार्यक्रम के लिए 9.00 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। परन्तु यह देखा गया है कि आपदा व्यवस्थापन के लिए 2.69 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की गई है। इससे व्यवहारिक रूप से केन्द्रीय सरकार का अकर्यण्य व्यवहार परिलक्षित होता है। आपदा प्रबंध का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में जनता के बीच जागरूकता पैदा करना है। परन्तु केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्य सरकारों द्वारा इसकी पूर्णत: उपेक्षा की जाती है।

मैं निवेदन करता हूं कि जहां हम प्राकृतिक आपदा कटौती का अन्तर्राष्ट्रीय दशक मना रहे है, वही केंद्रीय सरकार को लोगों को शिक्षित करने के लिए आगे आना चाहिए। उन्हें कतिपय प्राकृतिक आपदा की विनाश संभावनाओं के बारे में जागरूक होना चाहिए।

असम-भूकम्प प्रभावित क्षेत्र में है जहां भूचाल प्राय: आते रहते हैं। असम के लोगों के मन में पिछले भूचाल के प्रभाव के कारण भय व्याप्त हैं एक प्रसिद्ध भू-भौतिक विज्ञानी श्री नेगी ने यह बताया था कि प्रत्येक 100 वर्षों के बाद भूचाल फिर आए गए। 1897 में असम में एक भूचाल आया था। असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में यह सुनिश्चित करने के लिए उचित ध्यान दिया जाना चाहिए कि वहां के लोग इस बारे में शिक्षित हों। मैं स्वभाविक तौर पर सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहूंगा कि इस क्षेत्र में भूचाल के संभावित स्तरों के संबंध में लोगों को शिक्षित करने के लिए निवारक उपाय किए जाएं। और लोग इसके बारे में जागरूक हों।

मैंने अपने भाषण के आरम्भ में पहले ही इसका उल्लेख किया था। मैंने कहा है कि बाढ़, कटाव, भूचाल आदि जैसे प्राकृतिक विपदाएं न केवल वर्तमान में तबाही मचा रही हैं अपितु वे भावी विकास के लिए भी समस्याएँ